

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव (भारत सरकार के राजपत्रा अधिसूचना अनुसार)

भाग -3

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा जाना है)

- रथल जहां की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करे।

नहीं /

- क्या संबंधित वन संरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

सहमत /

- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ सिफारिद्दों।

अनुशःस्ता न जाती है।

दिनांक :- 15/6/2023

स्थान :- कांडेव

प्रस्तावकर
नाम
(रमेश आगासिमनी)
भा.व.से.
मुख्य वन संरक्षक
काकोर वृत्त, कांकेर